देवी सिंह वगैरहा बनाम चिरंजी वगैरहा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि पक्षकारों में राजीनामा हो गया है जिसके आधार पर अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा व रैस्पो0 सं0 1 व 2 का बहिस्सा बराबर 2/3 हिस्सा रहेगा। रैस्पो0 सं0 1 चिरंजी फौत हो चुका है उसके वारिसान रिकार्ड पर आ चुके हैं इसलिये उनके वारिसान का 1/3 हिस्सा रहेगा व रैस्पो0 संख्या 2 रघुवीर का 1/3 हिस्सा रहेगा। यानी रैस्पो0 का 2/3 हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार से काबिज आराजी हैं। इसमें रैस्पो0 को भी कोई एतराज नही है। नामान्तरकरण जो दर्ज किया गया है, वह सही है। अतः राजीनामा के अनुसार अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 29.03.2006 निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 31.12.04 वॉके ग्राम तलछैरा तहसील नदवई जिला भरतपुर यथावत रखा जावे। विद्वान वकील रैस्पो0 ने अपीलान्ट की बहस पर अपनी सहमति जाहिर की तथा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.03.2006 को निरस्त करने का निवेदन किया। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूँकि पक्षकारों में आपसी राजीनामा हो गया है। राजीनामा के आधार पर मृतक किसन की आराजी में अपीलान्टस का 1/3 हिस्सा एवं रैस्पो0 1 के वारिसान का 1/3 हिस्सा व रैस्पो0 संख्या 2 का 1/3 हिस्सा रहेगा। यानी रैस्पो0 का 2/3 हिस्सा रहेगा। इसलिये राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। मुताबिक राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.03.2006 निरस्त किया जाता है तथा नामा0 संख्या 78 निर्णय दिनांक 31.12.2004 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	